कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, उ0प्र0, अयोध्या।

पत्रांक 325 /14–10, (अमेठी) दिनांक, अयोध्या, जुलाई 27 /2020।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– उत्तर रेलवे द्वारा जंघई–प्रतापगढ़–अमेठी सेक्शन के किमी 924.000 से 934.450 तक जनपद अमेठी में प्रस्तावित रेल ट्रैक के दोहरीकरण कार्य में प्रभावित 6.1698 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अमेठी का पत्रांक 85/14–1 दिनांक 15–07–2020।
(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0पी0/रेल/43121/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अमेठी ने प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण कर उसकी 03 प्रतियॉ अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्तुति सहित संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ए0के0शुक्ला)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, अयोध्या।

पत्रांक 325 /उक्त दिनांक्ति।

1– **प्रतिलिपि–** प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अमेठी को उनके कार्यालय पत्रांक 85/14–1 दिनांक 15–07–2020 कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय, तब किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।

2– **प्रतिलिपि–** उप मुख्य अभियन्ता निर्माण, पंचम, लखनऊ उत्तर रेलवे को उपरोक्त संदर्भित पत्र, जो उन्हें भी पृष्ठांकित है, के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ किया जाय।

(ए0के0शुक्ला)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, अयोध्या।

भाग–iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। नहीं

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। हॉ

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। प्रभागीय वनाधिकारी अमेठी द्वारा दी गयी सूचना/टिप्पणी से सहमत होते हुए प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर [signature]

नाम–(एच०के०शुक्ला)

सरकारी मोहर वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सा0 वा0, सरयू वृत्त, उ0प्र0 अयोध्या

दिनॉक– 27-07-2020

स्थान– अयोध्या